...केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय
17 DEC 2024
बिहार

परीक्षा शाखा
Put up in file.
18/12/24

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 06.12.24

संख्या–21/ आयोग-04/2024, सा०प्र० 19591 / बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ** - (1) इन नियमावली का संक्षिप्त नाम बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियमावली, 2024 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 16, 2024) ;

(ख) **"केन्द्र समन्वयक"** से अभिप्रेत है विभिन्न सेवा प्रदाताओं और लोक परीक्षा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के समन्वय के लिए तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण में समन्वय करने के लिए और लोक परीक्षाओं के संचालन के लिए अधिसूचित सभी संनियमों या मानकों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए लोक परीक्षा केन्द्र पर तैनात लोक परीक्षा प्राधिकरण का कोई प्रतिनिधि;

(ग) **"दिशानिर्देश"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दिशा निर्देश ;

(घ) **"संनियम या मानक"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा लोक परीक्षाओं के संचालन के संबंध में समय-समय पर यथा अधिसूचित आज्ञापक अपेक्षाओं का सेट;

(ङ) **"क्षेत्रीय अधिकारी"** से अभिप्रेत है सरकार के उप सचिव के पद से अन्यून भारसाधक अधिकारी जिसे लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा राज्य के क्षेत्र विशेष के लिए पदाभिहित किया गया है, ;

(च) **"स्थान भारसाधक"** से अभिप्रेत है विभिन्न सेवा प्रदाताओं के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने, समन्वय करने और उनका प्रबंध करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अधिसूचित संनियमों, मानकों और दिशा

RS 549/ क०प०भ० 18/12/24

निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, परीक्षा संचालित करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो उनका उन अधिनियमों में है।

3. **लोक परीक्षा प्राधिकारण द्वारा अन्य सरकारी अभिकरणों की सेवाओं को नियोजित करना** - (1) जब कोई लोक परीक्षा प्राधिकरण, लोक परीक्षा के संचालन के लिए किसी अन्य लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवाओं के लिए नियोजित किया जाता है, तो पश्चातवर्ती लोक परीक्षा प्राधिकरण 'सेवा प्रदाता' की परिभाषा के अधीन नहीं आएगा ;

(2) विद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं और अन्य परिसर, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी संगठनों के स्वामित्व में हैं, या नियंत्रण में हैं, वे 'सेवा प्रदाता' की परिभाषा के अधीन नहीं आएंगे ;

(3) यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि उपनियम (2) में निर्दिष्ट संस्थाओं का कर्मचारिवृंद (जिसके अंतर्गत संविदा कर्मचारिवृंद भी हैं), अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई अपराध कारित करता है, तो उस पर अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

4. **कम्प्यूटर आधारित परीक्षण** - (1) कम्प्यूटर आधारित परीक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थियों का पंजीकरण, केन्द्रों का आवंटन, प्रवेश पत्रों का जारी किया जाना, लोक परीक्षा केन्द्रों में प्रश्नपत्रों को खोला जाना और वितरण करना, मूल्यांकन और अंतिम सिफारिशें करना, जैसे कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

(2) कम्प्यूटर आधारित परीक्षण के संबंध में प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने से लोक परीक्षा केन्द्र में मुख्य सर्वर से स्थानीय सर्वर में प्रश्नपत्र को डाउनलोड करना, जैसा कि लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया जाए, संबंधित लोक परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय सर्वर से प्राधिकृत व्यष्टिक कंप्यूटरों में प्रश्न पत्रों को अपलोड और डिजिटल रूप में अंतरित करना अभिप्रेत है।

5. **कम्प्यूटर आधारित परीक्षण के लिए संनियम, मानक और दिशा निर्देश तैयार करना** - (1) राज्य सरकार के निमित्त, राज्य भर्ती अभिकरण, हितधारियों के परामर्श से, परीक्षा के कम्प्यूटर आधारित परीक्षण रीति के लिए संनियम मानक, और दिशानिर्देश तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(2) संनियम, मानक, दिशानिर्देश के अंतर्गत भौतिक और डिजिटल अवसंरचना तथा क्रिया-कलाप शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत -

(क) लोक परीक्षा केन्द्रों के पंजीकरण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया;

(ख) कम्प्यूटर आधारित परीक्षण केन्द्रों के भीतर स्थान की अपेक्षा ;

(ग) बैठने की व्यवस्था को प्रदर्शित करना ;

(घ) कम्प्यूटर नोड्स की विशिष्टियां और उसका प्रदर्शन;

(ङ) सर्वर और नेटवर्क अवसंरचना की विशिष्टियां ;

(च) कम्प्यूटर आधारित परीक्षण के संचालन के लिए इलैक्ट्रानिकी प्लेटफार्म की विशिष्टियां ;

(छ) परीक्षा-पूर्व क्रियाकलाप जैसे लोक परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व-संपरीक्षा;

(ज) अभ्यर्थियों का प्रवेश, बायोमैट्रिक रजिस्ट्रीकरण, सुरक्षा और छानबीन;

(झ) सीट आबंटन;

(ञ) प्रश्न पत्र सेट करना और लोड करना;

(ट) परीक्षा में अधीक्षण;

(ठ) परीक्षा पश्चात् क्रियाकलाप ; जांच सूची और घोषणाएं ;

(ड) लेखक उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश ; और

(ढ) लोक परीक्षा के संचालन से सहबद्ध कोई अन्य क्रियाकलाप ।

6. **लोक परीक्षा के लिए केन्द्र समन्वयक** - लोक परीक्षा प्राधिकरण, केन्द्र समन्वयक के रूप में या कोई अन्य लोक परीक्षा से संबंधित कर्तव्यों को सौंपने के लिए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी संगठनों में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेगा ।

7. **अनुचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट करना** - (1) यदि लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों या अपराध की कोई घटना कारित होती है तो स्थान भारसाधक अपने निष्कर्षों के साथ फारम-1 में एक रिपोर्ट तैयार करेगा। फारम-1 की रिपोर्ट को केन्द्र समन्वयक के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी को भेजा जाएगा। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट को फाइल करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो स्थान भारसाधक आवश्यक कार्रवाई करेगा । क्षेत्रीय अधिकारी प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा कर सकेगा और समुचित कार्रवाई करेगा, जिसके अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करना सम्मिलित हो सकेगा ।

(2) सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निदेशक बोर्ड के स्तर से नीचे के व्यक्तियों की दशा में, जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं या कोई अपराध कारित करते हैं या किसी अपराध को कारित करने को सुकर बनाने में शामिल होते हैं या अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं, तो केन्द्र समन्वयक, फारम-2 में क्षेत्रीय अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगा। क्षेत्रीय अधिकारी जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि परीक्षा केन्द्र स्तर पर संलिप्त है, तो वह केन्द्र समन्वयक को प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने का निदेश देगा । यदि क्षेत्रीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह इसके कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3) यदि क्षेत्रीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम दृष्ट्या सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निदेशक बोर्ड की संलिप्तता हैं तो वह घटना के ब्यौरों की रिपोर्ट अपने निष्कर्षों और फारम-2 के साथ लोक परीक्षा प्राधिकरण को करेगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट मामलों को लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा गठित समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो क्षेत्रीय अधिकारी के रिपोर्ट की जांच करेगी और समुचित निर्णय लेने के लिए लोक परीक्षा प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करेगी ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट समिति, लोक परीक्षा प्राधिकरण से एक ज्येष्ठ कार्मिक, लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञ सदस्य और विभाग, जिसको लोक परीक्षा प्राधिकरण रिपोर्ट करता है, से एक सदस्य (जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो) से मिलकर बनेगी ।

(6) लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों या अपराधों की सभी घटनाओं की रिपोर्ट क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई कार्रवाई के ब्यौरों के साथ लोक परीक्षा प्राधिकरण को की जाएगी।

8. **लोक सेवक के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया** - (1) लोक परीक्षा प्राधिकरण, लोक परीक्षा के संचालन के लिए तैनात लोक सेवक के कार्यों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी की या अन्यथा रिपोर्ट की प्राप्ति पर जांच करेगा कि क्या लोक सेवक द्वारा लोक परीक्षा के संचालन में की गई कोई कार्रवाई सद्भावपूर्वक की गई थी, जैसा कि अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट है ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जा सकेगा, जिसका अध्यक्ष संयुक्त सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी होगा और यह लोक परीक्षा प्राधिकरण से एक ज्येष्ठ अधिकारी तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी विशेषज्ञ से मिलकर बनेगी ।

(3) समिति, सभी सुसंगत सूचना की जांच करेगी और अपने निष्कर्षों को समुचित कार्रवाई के लिए लोक परीक्षा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी ।

9. **अनुश्रवण करना।**– प्रत्येक लोक परीक्षा प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मो0 सोहैल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–21/आयोग.04/2024, सा0प्र0 19591 /पटना–15, दिनांक– 06.12.24

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग ई.गजट शाखा को सी॰डी॰ सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग/सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/सचिव, केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को, दिनांक 03.12.2024 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या 20 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत प्रस्ताव के अनुपालन में/ तथा आई॰टी॰ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।